



R-628-J/12

जयप्रताप बागरी तनय श्री जीवनदास बागरी निवासी हरदुवा मझोल

तह0 नागौद जिला सतना म0प्र0

—निगराकार

बनाम

जीवनदास बागरी तनय स्व0श्री रामगोपाल बागरी निवासी हरदुवा

मझोल तह0 नागौद जिला सतना म0प्र0

2-विजय प्रताप बागरी तनय स्व0 श्री जीवन दास बागरी निवासी हरदुवा

मझोल तह0 नागौद जिला सतना म0प्र0

—गैरनिगराकारगण

श्री रमेश पाठक को  
द्वारा आज दि 20-3-12 को  
प्रस्तुत  
कं0  
20-3-12  
जिला न्यायालय  
ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959  
विरुद्ध तहसीलदार नागौद दिनांक 27.02.12 जरिये  
रा0 प्र0 कं0 135/11-12.

रमेश पाठक मान्यवर,

एडवो

उपरोक्त संदर्भ में निगराकार निम्नलिखित आधार पर निगरानी प्रस्तुत

कर विनयी है ।

संक्षिप्त तथ्य

गैरनिगराकार कं0 1 द्वारा योग्य विचारण न्यायालय तहसीलदार नागौद के समक्ष धारा 115-116 का0मा0 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व जो तरमीम नक्शे में की गई है उससे आवेदक एवं अनावेदक कं0 1 याने उत्तरवादी कं0 2 का हित प्रभावित हो रहा है तथा कब्जे की स्थिति भिन्न रूप से दर्शित हो रही है पूर्व में किये गये तरमीम के संबंध में उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया चोरी छिपे पूरी कार्यवाही की गई है जिससे गैरनिगराकार अपने वास्तविक स्वामित्व एवं कब्जे दखल की आराज्जी से वंचित हो रहे हैं जिससे नक्शा सुधार की कार्यवाही की जाय । जिसके संबंध में तीन गठित किये जाने का निवेदन भी किया गया ।

## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-628-एक/2012

जिला सतना

जयप्रताप विरूद्ध जीवनदास

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-03-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह तहसीलदार नागौद जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 1अ5/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 27-02-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 02-05-2019 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	<p>(आर.के.जिना) सदस्य 01/3/19</p>